भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - *323
उत्तर देने की तारीख: 12/08/2025

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं

*323. श्री विजय कुमार हाँसदाक:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अद्यतन अनुमानों के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के दिव्यांगजनों सहित सशक्त किए गए दिव्यांगजनों की कुल संख्या श्रेणी-वार और राज्य-वार कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उनके सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2019 से वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई तथा इसके लिए कौन-कौन से वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए;

(घ) क्या सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं" के संबंध में माननीय सांसद श्री विजय कुमार हाँसदाक, द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2025 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *323 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ग): वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या 2.68 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े, अब निरस्त हो चुके निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के तहत दिव्यांगता के वर्गीकरण पर आधारित थे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद, दिव्यांगताओं की श्रेणियां 7 से बढ़कर अब 21 हो गई हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की संख्या (राज्य-वार एवं लिंगवार) का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कई पहल की हैं। दिनांक 19.04.2017 से प्रभावी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, समानता, शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसमें बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए धारा 34 के तहत सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण और धारा 32 के तहत उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण अनिवार्य किया गया है।

हालांकि भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार अपनी प्रमुख पहलों और योजनाओं के माध्यम से कल्याण, कौशल विकास और समावेशिता, तथा सुगम्य भारत के प्रयासों का समर्थन करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

(i) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप): विभाग 'सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)' योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जाती है, ताकि पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और सहायता उपकरण खरीदने में सहायता मिल सके, जिससे देश भर के दिव्यांगजनों में दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके।

(ii) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):- दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत, दिव्यांगजनों को अपने इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तरों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों/राज्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को (i) जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) की स्थापना और (ii) दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है,

जिसमें प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चों सहित दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल शामिल हैं।

(iii) **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ:** विभाग दिव्यांग छात्रों की वित्तीय, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने और गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए प्री- मैट्रिक, पोस्ट- मैट्रिक, टॉप क्लास एजुकेशन, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति, नेशनल फेलोशिप और निःशुल्क कोचिंग योजनाओं नामक छ: घटक शामिल करते हुए 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक व्यापक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पूरे भारत में छात्रों के बैंक खातों (डीबीटी मोड) में निधियां सीधे संवितरित की जाती है।

(iv) **यूडीआईडी योजना:** यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) योजना दिव्यांगजनों के लिए सिंगल डिजिटल पहचान पत्र प्रदान करती है, जिससे सरकारी लाभों तक उनकी पहुँच सुगम्य होती है। यह अनावश्यक दस्तावेज़ों को समाप्त करती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों से जोड़कर समावेशिता को बढ़ावा देती है, जिससे दिव्यांगजनों को अधिकारों और अवसरों तक आसान पहुँच प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है, अर्थात् (i) दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) (ii) जागरूकता सृजन एवं प्रचार (एजीपी) एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण और (iii) बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण एवं सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) (iv) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)

इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय करने के लिए मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन को अधिदेश दिया गया है। तथा साथ ही विभाग के अधीन नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एंड डिवैलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी), एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना और दिव्यांगजनों के स्वरोजगार और अन्य उद्यमों को बढ़ावा देना है।

2019-20 से 2024-25 तक विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित दिव्यांगजनों और निधि उपयोग (राज्यवार) का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ): विभाग समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों (तृतीय पक्ष) के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन, प्रभाव और निधियों के उचित उपयोग का आकलन करना है। एडिप, डीडीआरएस और छात्रवृत्ति योजनाओं का हाल ही का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन वर्ष 2021 में राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), नई दिल्ली द्वारा किया गया था। मूल्यांकन से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशों पर समुचित ध्यान दिया गया और तदनुसार उन्हें अपनाने/कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

****

अनुबंध-I

जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की संख्या (राज्य और लिंग के अनुसार)				
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल
1.	जम्मू और कश्मीर	204834	156319	361153
2.	हिमाचल प्रदेश	86321	68995	155316
3.	पंजाब	379551	274512	654063
4.	चंडीगढ़	8743	6053	14796
5.	उत्तराखंड	102787	82485	185272
6.	हरियाणा	315533	230841	546374
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	138379	96503	234882
8.	राजस्थान	848287	715407	1563694
9.	उत्तर प्रदेश	2364171	1793343	4157514
10.	बिहार	1343100	987909	2331009
11.	सिक्किम	9779	8408	18187
12.	अरुणाचल प्रदेश	14245	12489	26734
13.	नागालैंड	16148	13483	29631
14.	मणिपुर	31174	27373	58547
15.	मिजोरम	8198	6962	15160
16.	त्रिपुरा	35482	28864	64346
17.	मेघालय	23326	20991	44317
18.	असम	257385	222680	480065
19.	पश्चिम बंगाल	1127181	890225	2017406
20.	झारखंड	426876	343104	769980
21.	ओडिशा	674775	569627	1244402
22.	छत्तीसगढ़	334093	290844	624937
23.	मध्य प्रदेश	888751	663180	1551931
24.	गुजरात	612804	479498	1092302
25.	दमन और दीव	1300	896	2196
26.	दादरा और नगर हवेली	1893	1401	3294
27.	महाराष्ट्र	1692285	1271107	2963392
28.	आंध्र प्रदेश	1224459	1042148	2266607
29.	कर्नाटक	726521	597684	1324205
30.	गोवा	17016	15996	33012
31.	लक्षद्वीप	838	777	1615
32.	केरल	394706	367137	761843
33.	तमिलनाडु	657418	522545	1179963
34.	पुदुचेरी	16373	13816	30189
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3861	2799	6660
	कुल	**14988593**	**11826401**	**26814994**

दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना (एडिप योजना)

	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाखों रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या
अंडमान एवं निकोबार	5.35	115	27	8.29	162	0	8.06	145	3	7.23	154	0	0.06	1	0	14.5	218	6
आंध्र प्रदेश	720.78	12593	1744	303.32	2658	383	1194.8	10256	1899	686.16	7726	1225	2084.3	17500	3202	1686.58	10076	2335
अरुणाचल प्रदेश	12.08	204	26	14.9	289	17	20.79	300	62	0	0	0	4.57	40	0	10.13	86	1
असम	591.06	8297	696	639.01	9708	889	341.62	4900	100	1003.06	11572	176	1302.62	17350	1205	1075.56	11506	2402
बिहार	236.63	3104	453	645.19	7233	1004	496.22	5951	744	1076.87	13143	860	2427.1	23912	2129	785.37	5152	1272
चंडीगढ़	11.31	128	6	31.68	301	51	9.76	128	13	39.12	422	38	31.39	163	34	186.78	781	243
छत्तीसगढ़	349.38	3283	178	403.22	3316	593	118.44	891	100	152.36	1768	273	37.42	320	43	231.7	1365	365
दिल्ली	35.85	1006	116	38.33	666	19	268.36	4214	549	247.13	2120	214	423.51	3293	308	907.76	5847	975
दमन और दीव	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	9.59	139	0	156.5	2161	81	2.24	24	4	0	0	0	40.66	418	11	33.18	224	7
गुजरात	616.26	6105	391	946.82	13648	747	993.29	15250	1727	443.07	5032	758	1539.78	18648	1292	3244.66	26560	4339
हरियाणा	981.58	10287	1494	134.94	1539	66	338.85	4072	907	678.06	5937	1609	1077	5930	1079	750.92	4005	1061
हिमाचल प्रदेश	12.10	255	65	169.7	2559	761	68.74	1272	406	143.74	1924	514	153.25	1808	446	157.36	1752	317
जम्मू और कश्मीर	131.25	1813	220	151.22	2390	116	311.89	4129	569	507.6	6878	30	542.88	6817	439	328.6	2967	231
झारखंड	0.00	0	0	104.8	1365	359	380.45	5197	456	851.16	10804	862	629.64	7742	687	836.88	8277	2106
कर्नाटक	267.34	5119	595	92.15	2181	327	249.31	4829	599	421.81	5622	884	1248.22	15752	2642	1324.58	10996	2831

केरल	182.47	2683	281	425.57	5181	659	168.6	2442	295	222.35	2912	599	563.87	6766	490	152.72	1425	74
लद्दाख	1.26	23	0	0	0	0	0	0	0	1.89	59	0	28.79	355	16	13.39	130	0
लक्षद्वीप	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.66	15	2	18.83	257	4
मध्य प्रदेश	1085.08	11615	1326	1995.08	21347	3353	2693.85	25053	4519	1732.72	19930	3911	4283.69	33542	7070	2520.72	14102	3584
महाराष्ट्र	2622.04	28678	6041	8511.82	19589	2629	7913.55	30073	1485	1568.47	10836	1935	4211.25	54455	6771	2636.5	19309	3065
मणिपुर	5.70	89	0	73.15	660	113	47.25	594	65	47.93	581	15	21	259	2	43.97	440	15
मेघालय	3.27	34	0	7.45	151	0	19.94	212	0	172.87	2295	3	3.87	42	0	50.84	777	180
मिजोरम	0.00	0	0	0	0	0	5.78	67	16	0.13	1	0	10.41	297	0	29.78	373	26
नागालैंड	12.62	253	0	6.55	163	0	28.47	496	34	23.82	380	0	3.16	48	0	47.82	590	14
ओडिशा	839.73	10935	1257	982.29	12770	1200	882.07	12055	1612	784.57	10164	1018	953.44	11232	1823	1579.03	15556	4175
पुदुचेरी	32.94	383	78	5.98	78	0	37.73	612	0	0	0	0	24.37	302	58	102.59	393	62
पंजाब	671.38	10444	3145	326.7	4054	534	1281.55	14815	5115	902.06	8006	3857	1703.61	11259	4982	2029.32	8273	3181
राजस्थान	816.57	12061	2093	731.5	10493	1963	452.83	7488	1442	667.52	10132	1784	2155.48	19873	3290	1697.81	15407	3762
सिक्किम	15.10	197	88	7.91	173	13	0.00004	4	0	3.15	67	6	4.27	61	6	2.68	18	3
तमिलनाडु	906.16	13417	2813	623.28	8407	1585	1336.24	21746	4571	859.85	11327	1810	1137.29	12622	2156	416.12	2499	432
तेलंगाना	380.87	2221	554	355.19	2667	530	1134.44	5982	1067	420.54	2321	392	1389.14	11380	2419	1417.24	8961	1815
दादरा और नगर हवेली	2.92	160	11	17.79	285	5	5.42	86	2	21.13	233	12	4.78	49	5	54.05	455	46
त्रिपुरा	11.38	569	35	46.05	724	356	59.54	878	123	292.69	4203	193	89.49	1142	319	90.32	784	137
उत्तर प्रदेश	3638.68	45479	4690	2750.69	33823	3318	2855.02	33697	4742	3823.14	35149	4800	7479.29	50042	11084	9244.49	54834	11370
उत्तराखंड	80.06	3868	255	80.32	6141	447	132.48	5854	828	185.59	4244	490	275.44	2510	391	401.98	2442	469
पश्चिम बंगाल	976.95	14390	2354	715.28	11967	1398	267.67	5159	920	1587.88	24169	4053	958.23	10344	3216	1358.66	14652	4028
कुल	**16265.76**	**209947**	**31032**	**21502.7**	**188849**	**23516**	**24125.2**	**228871**	**34974**	**19575.68**	**220111**	**32321**	**36845**	**35483.41**	**57617**	**35483.41**	**251489**	**54933**

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत 2019-20 से राज्य-वार जारी किया गया सहायता अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2663.05	6187	1639.88	5620	1779.89	4620	2648.41	5605	2851.56	4604	2728.44	5085
2	असम	124.72	603	90.7	248	167.76	488	261.34	753	136.87	327	228.25	285
3	बिहार	23.67	53	0	0	41.89	55	33.54	69	68.65	111	48.96	139
4	छत्तीसगढ़	49.78	187	1.63	110	47.58	110	0	0	0	0	74.14	93
5	दिल्ली	32.65	501	247.67	685	162.74	615	185.51	937	166.89	688	191.70	714
6	गुजरात	131.96	864	43.32	378	120.66	447	72.77	437	95.19	187	108.84	215
7	हरियाणा	154.81	512	140.19	505	101.99	292	128.93	444	174.61	377	148.67	432
8	हिमाचल प्रदेश	71.77	302	69.2	212	67.15	144	69.05	89	84.13	119	101.12	154
9	जम्मू और कश्मीर	4.53	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	झारखंड	10.39	64	0	0	0	0	26.09	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	41.31	339	81.3	373	135.6	389	139.92	685	73.73	104	94.87	294
12	केरल	611.82	2112	628.3	1656	725.3	1883	762.41	2081	455.2	1549	1632.25	3951
13	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0.44	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	155.5	639	248.31	822	325.57	682	382.72	803	484.55	764	307.05	832
15	महाराष्ट्र	342.21	3036	180.11	2049	71.46	1677	383.87	523	311.19	1354	101.16	0
16	मणिपुर	974.01	2597	596.24	1523	741.55	1478	1016.29	2681	946.48	1942	1091.05	1894

17	मेघालय	32.59	443	105.37	322	29.64	84	101.76	361	87.86	352	165.55	482
18	मिजोरम	33.9	168	11.73	20	0	0	29.22	61	17.26	60	6.51	86
19	नागालैंड	2.48	30	26.32	47	0	0	30.36	60	46.83	48	38.28	53
20	ओडिशा	1001.05	3239	789.16	5953	1457.59	5306	929.8	4776	1382.09	2067	1284.63	2360
21	पंजाब	133.65	588	98.92	272	149.27	505	168.06	682	211.68	697	294.16	703
22	राजस्थान	261.6	1096	150.58	370	286.26	528	239.28	546	320.06	513	350.38	489
23	तमिलनाडु	191.9	786	208.25	706	137.06	1267	184.7	1320	312.15	1052	260.89	1036
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	15.57	44	51.67	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश	1018.59	4105	1335.24	3580	1389.36	3604	1147.75	3249	1653.52	3017	2051.16	4095
26	उत्तराखंड	84.07	197	102.68	144	68.67	142	87.29	125	80.48	62	157.41	304
27	पश्चिम बंगाल	335.46	3621	336.31	1935	606.89	1389	811.67	4424	782.79	7162	610.29	7766
28	तेलंगाना	1646.76	5513	1168.25	3932	1439.72	4397	1527.48	4389	2121.26	3271	1780.89	3278
29	पुदुचेरी	32.61	141	18.48	80	35.89	71	85.27	205	80.65	162	82.75	158
	कुल	10166.84	**38004**	8318.14	**31542**	10089.49	**30173**	11469.06	**35349**	12997.79	**30589**	13939.4	**34898**

*डीईपीडब्ल्यूडी दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के लिए एससी/एसटी/सामान्य/ओबीसी श्रेणीवार डेटा नहीं रखता है।

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		कुल लाभार्थी	कुल राशि
		लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि		
1	अंडमान और निकोबार	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
2	आंध्र प्रदेश	628	5.2399	201	2.4243	1343	4.7474	3070	6.2620	625	3.4455	336	1.2836	6203	2.340 26
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
4	असम	1089	2.1467	19	0.7497	783	2.0207	71	0.6710	322	1.0701	83	0.2721	2367	6.93 03
5	बिहार	1771	6.5574	902	3.6822	2278	9.0513	1257	5.4317	1441	11.941 0	875	6.4377	8524	43.10 12
6	चंडीगढ़	17	0.3961	1	0.0833	34	0.0327	90	0.1927	343	0.7525	912	1.6520	1397	3.10 92
7	छत्तीसगढ़	344	0.6806	7	0.1262	1125	1.5298	612	3.0101	456	0.7552	410	1.1986	2954	7.30 06
8	दादरा और नगर हवेली	8	0.0086	1	0.0007	15	0.0130	28	0.0294	5	0.0057	0	0.0000	57	0.05 74
9	दमन और दीव	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	0.0009	2	0.0021	2	0.0023	5	0.00 53
10	दिल्ली	476	1.9945	8	1.1388	313	1.0253	502	1.6585	149	1.2949	107	0.5453	1555	7.65
11	गोवा	11	0.0162	6	0.0358	26	0.0551	25	0.0389	26	0.0344	22	0.0670	116	0.24
12	गुजरात	250	1.2744	1379	3.2426	1577	2.7591	1240	2.5580	1034	2.6293	1023	2.8364	6503	15.2 9
13	हरियाणा	239	0.8956	111	0.5673	275	1.0701	285	1.2916	136	0.9477	61	0.2683	1107	5.04
14	हिमाचल प्रदेश	142	0.3826	78	0.4865	186	0.5762	179	1.3118	204	1.0861	168	0.7366	957	4.57

15	जम्मू और कश्मीर	206	1.0056	545	2.4355	594	1.7661	547	1.8832	291	2.1764	79	0.3515	2262	9.61
16	झारखंड	286	1.1987	99	0.7906	145	0.9909	762	8.3186	331	3.4345	114	1.0288	1737	15.76
17	कर्नाटक	1100	5.0541	1239	5.4413	3331	16.9334	3026	16.2860	3428	23.2002	1722	7.5166	13846	74.43
18	केरल	3669	5.4825	4192	4.1035	5095	7.2184	4932	7.6189	3992	6.2938	5307	6.5225	27187	37.23
19	लद्दाख	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
21	मध्य प्रदेश	5429	9.0405	4003	4.5954	5661	9.7270	8765	18.0335	1293	3.9276	1728	3.9266	26879	49.25
22	महाराष्ट्र	1082	4.0443	459	2.4890	1490	5.8300	691	5.9860	1757	6.7339	442	3.9973	5921	29.08
23	मणिपुर	12	0.0317	7	0.0150	0	0.0000	32	0.1116	27	0.1617	63	0.1679	141	0.48
24	मेघालय	0	0.0000	0	0.0000	6	0.0566	5	0.0073	22	0.0471	31	0.1153	64	0.226
25	मिजोरम	26	0.0359	5	0.0046	11	0.0155	12	0.1372	2	0.0698	0	0.0000	56	0.263
26	नागालैंड	0	0.0000	45	0.0485	6	0.0100	2	0.0018	7	0.0075	1	0.0032	61	0.07
27	ओडिशा	3341	7.4491	1495	3.0094	2699	5.4000	3168	6.1144	1467	4.3636	1941	6.0202	14111	32.35
28	पुदुचेरी	79	0.3888	27	0.2659	95	0.2863	46	0.2999	7	0.3876	56	0.1843	310	1.81
29	पंजाब	444	1.2273	1019	1.5529	1393	2.1197	1094	1.7366	608	2.3495	91	0.2266	4649	9.21
30	राजस्थान	1567	3.9550	76	1.4275	1856	4.0762	1084	3.5449	1007	3.5116	787	2.7516	6377	19.26
31	सिक्किम	7	0.0537	3	0.0027	3	0.0029	1	0.0009	1	0.0011	6	0.0369	21	0.09
32	तमिलनाडु	1181	4.4209	2000	5.2572	4384	9.1456	6448	13.4580	4046	10.6942	3820	7.0739	21879	50.04

33	तेलंगाना	328	1.8423	95	6.0501	1340	6.3951	2936	8.8594	879	6.7624	183	1.5136	5761	31.42
34	त्रिपुरा	159	0.3570	66	0.0974	186	1.1876	245	0.4755	329	1.8592	79	0.1712	1064	4.14
35	उत्तराखंड	391	1.4776	142	0.4644	259	0.9639	229	1.0455	64	0.4452	142	0.6201	1227	5.01
36	उत्तर प्रदेश	18205	45.7274	7177	36.7572	5115	32.9010	2318	24.3304	4477	24.8582	1934	6.5045	39226	171.07
37	पश्चिम बंगाल	485	2.1821	660	4.4215	512	3.4883	459	4.4916	596	5.2205	28	0.7000	2740	20.5
38	केनरा बैंक	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	447	24.7202	447	24.72
39	विज्ञापन और प्रचार	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.2000	0	0.5146	0	0.71
40	बैंक सेवा शुल्क और एजेंसी शुल्क	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.6621	0	0.3500	0	1.01
	कुल	**42972**	**114.5671**	**26067**	**91.7668**	**42136**	**131.3952**	**44162**	**145.1979**	**29374**	**131.3321**	**23085**	**90.5700**	**207796**	**704.82**

*डीईपीडब्ल्यूडी छात्रवृत्ति योजना के लिए एससी/एसटी/सामान्य/ओबीसी श्रेणीवार डेटा नहीं रखता है।

विशिष्ट दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) कार्ड जारी स्थिति दिनांक 08/08/2025

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी किए गए यूडीआईडी कार्ड
1	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	6755
2	आंध्र प्रदेश	980828
3	अरुणाचल प्रदेश	4389
4	असम	231871
5	बिहार	642293
6	चंडीगढ़	12216
7	छत्तीसगढ़	267799
8	दिल्ली	97536
9	गोवा	12390
10	गुजरात	469038
11	हरियाणा	222465
12	हिमाचल प्रदेश	106392
13	जम्मू और कश्मीर	219261
14	झारखंड	202384
15	कर्नाटक	887030
16	केरल	396647
17	लद्दाख	3927
18	लक्षद्वीप	1187
19	मध्य प्रदेश	963155

20	महाराष्ट्र	1294207
21	मणिपुर	15376
22	मेघालय	33596
23	मिजोरम	6657
24	नगालैंड	3680
25	ओडिशा	857945
26	पुदुचेरी	23454
27	पंजाब	373978
28	राजस्थान	675422
29	सिक्किम	5569
30	तमिलनाडु	926111
31	तेलंगाना	781428
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4424
33	त्रिपुरा	41254
34	उत्तर प्रदेश	1560767
35	उत्तराखंड	101448
36	पश्चिम बंगाल	151712
	कुल	12584591